न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, जयपुर महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारी : मनोज मीना, R.J.S. (D.J. Cadre)

दीवानी नियमित अपील संख्या : 07/2019
CIS Reg. No. - Civil Regular Appeal/211/2019
CNR No. - RJJM010122082019

अब्दुल लतीफ पुत्र मरहुम शकूर खां, उम्र लगभग 80 वर्ष, निवासी – मकान नंबर 794, मौहल्ला नालवन्दान, चौकडी गंगापोल, जयपुर।

–– अपीलार्थी

बनाम

1– शफीक पुत्र मरहूम गुलाब खां, वयस्क,

2– असलम पुत्र मरहूम गुलाब खां, वयस्क,

3– श्रीमती सायरा पत्नी मरहूम गुलाब खां, वयस्क,

4– जावेद पुत्र मरहूम अनसर, वयस्क,

5– मुन्ना पुत्र मरहूम अनवर, उम्र वयस्क,

समस्त निवासीगण – म.नं. 793, मोहल्ला नालवन्दान, चौकडी गंगापोल, जयपुर।

–– प्रत्यर्थीगण

दीवानी नियमित अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.04.2019, इजराय संख्या 21/2015, बउनवानी अब्दुल सलाम वगै. बनाम गुलाब खां , द्वारा पीठासीन अधिकारी श्रीमती रेखा तिवारी, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर महानगर

.....

उपस्थित :

1. श्री सत्येन्द्र कुमार सक्सैना, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।
2. श्री मोहम्मद इरशाद, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण।

.....

निर्णय **दिनांक 30.07.2026**

1. यह नियमित दीवानी अपील, विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर महानगर के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी व अन्य पक्षकारान अब्दुल सलाम व अन्य की ओर से प्रस्तुत इजराय संख्या 21/2015 बउनवानी अब्दुल सलाम व अन्य बनाम गुलाम खां में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी

है। इस निर्णय /अपील में आगे पक्षकारान को उनके मूल नाम यथा डिक्रीदार/अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थीगण/मद्यून से संबोधित किया जाएगा। इस निर्णय के द्वारा उक्त अपील का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, डिक्रीदार/अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण/मद्यून के विरूद्व इजराय प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि, डिक्रीदार ने मरहूम गुलाब खां के विरूद्व एक वाद इस आशय का पेश किया था कि वे गली मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. पर कोई तामीरात नहीं करे और ना ही उन्हें गली को काम में लेने से रोके तथा उन्होंने जो तामीरात ए.बी.सी. डी. कर ली है, को तुडवाया जावे। दौराने वाद पक्षकारों के मध्य अपील मीमों की मद संख्या 1 की उपमद क तथा ख में वर्णित अनुसार राजीनामा हो गया। राजीनामे के आधार पर न्यायालय के द्वारा डिक्री बना दी गयी। मद्यून ने इस डिक्री की अवहेलना कर दिनांक 03.03.1988 को विवादग्रस्त गली में एक रसोई का निर्माण कर लिया, जो 5 फीट चौडी, 7 फीट लंबी व 7 फीट ऊॅची है, दीवारों पर पट्टियां डाल दी है। मदयून ने गली में दरवाजा भी निकाल लिया तथा गली को काम में लेना भी शुरू कर दिया, जो तामीरात डिक्री के खिलाफ है व डिक्री की अवहेलना है। पूर्व में विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की इजराय आदेश दिनांक 06.10.2017 के द्वारा खारिज कर दी गयी थी, जिस आदेश के विरूद्व अपीलार्थी के द्वारा अपील करने पर , अपीलार्थी की अपील दिनांक 17.07.2018 को स्वीकार की जाकर , प्रकरण में पुनः सुनवायी की जाकर आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिए। प्रकरण रिमाण्ड होने पर मद्युनान गैर हाजिर हो गये। विचारण न्यायालय ने मौके की सही स्थिति जानने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी के कथनों की पुष्टि की। विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त गली में एक्स स्थान निर्माण मद्यून का माना किन्तु निर्माण राजीनामा होने के पूर्व कराया गया या बाद में , ऐसा कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य डिक्रीदार द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। डिक्रीदार को साबित करना था कि मद्यून द्वारा राजीनामे की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। विचारण न्यायालय ने इजराय प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

3. विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की बहस सुनकर अपने आलौच्य आदेश दिनांक 29.04.2019 द्वारा डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का आदेश पारित किया गया। ''

4. उक्त आलौच्य आदेश के विरूद्व अपीलार्थी की ओर से यह नियमित अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपील पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

6. अपीलार्थी/डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्यतः अपील मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनर्रावत्ति करते हुए तर्क दिया है कि राजीनामे से स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचारण न्यायालय में फैसल किया गया था इसलिए नवीन वाद की आवश्यकता नहीं थी। मद्यून द्वारा राजीनामे की शर्तो व डिक्री की अवहेलना कर, विवादग्रस्त गली में रसोई का निर्माण करने पर इजराय की आवश्यकता हुई। कमिश्नर रिपोर्ट से विवादग्रस्त गली में रसोई का निर्माण साबित है तथा अपील स्वीकार कर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 अपास्त करने तथा मद्यून द्वारा डिक्री दिनांक 15.03.1973 की अवहेलना कर तामीरात की गयी रसोई को तुडवाये जाने का निवेदन किया।

7. अपीलार्थी/डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न सम्मानित न्यायिक द्वष्टांत पेश किया :–

(1). **1974 SCC (2) 1, Prem Raj Vs Ram Charan**

8. प्रत्यर्थीगण/मद्यूनान के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 15.07.73 के राजीनामे के आधार पर निर्णित हुआ था तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत इजराय में पारित आदेश सही व युक्तियुक्ति होने का तर्क देते हुए अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

9. मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

10. इस अपील में अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश की शुद्धता, वैधता व उचितता के बारे में विचार करना है ?

11. इस संबंध में विधिक स्थिति व विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इजराय प्रार्थना पत्र में तारीख पेशी दिनांक 29.04.2019 को अपीलार्थी/डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत इजराय पर बहस सुनने के उपरांत इजराय अस्वीकार कर खारिज कर दिया।

12. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या प्रत्यर्थीगण/मद्यूनान ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में राजीनामे के आधार पर जारी डिक्री की अवहेलना करते हुए विवादग्रस्त गली में रसोई का निर्माण कर लिया है तथा अपीलार्थी/डिक्रीदार ने इजराय में इस तथ्य को साबित किया है ?

13. उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में सर्वप्रथम विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तथा हस्तगत पत्रावली का समग्रता से परिशीलन करने के पश्चात यह तथ्य

बिल्कुल स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा में विवादग्रस्त गली के संबंध में पक्षगण के मध्य राजीनामा के आधार पर वाद में डिक्री तैयार की गयी थी और उस डिक्री की अवहेलना करते हुए मद्यूनान ने विवादग्रस्त गली में दिनांक 03.03.88 को एक रसोई का निर्माण कर लिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी/डिक्रीदार द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन करने के उपरांत डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि अपीलार्थी को नवीन वाद करने की आवश्यकता नहीं थी जबकि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में डिक्रीदार को वाद कारण उत्पन्न होने तथा आज्ञापक निषेधाज्ञा का पृथक से वाद प्रस्तुत करने संबंधी विवेचन करते हुए आदेश पारित किया है। इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस या अपील मीमों में या अन्य किसी प्रकार से न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई विधि प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे कि यह तथ्य सिद्व होता हो कि नवीन वाद के संबंध में विचारण न्यायालय ने जो अपने आदेश में विवेचना की है , वह गलत हो तथा नवीन वाद प्रस्तुत करने की डिक्रीदार की आवश्यकता न हो। यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि डिक्रीदार द्वारा जिस वाद की डिक्री की पालना करवाए जाने के संबंध में इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था , वह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का वाद था और वाद प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारित ना होकर, राजीनामे के आधार पर निस्तारित हुआ था। हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र के जरिए डिक्रीदार ने इजराय में जो अनुतोष चाहा है , वह आज्ञापक प्रकृति का अनुतोष है क्योंकि अपीलार्थी/डिक्रीदार ने मद्यून द्वारा किए गए निर्माण को ध्वस्त करवाने का अनुतोष चाहा था। ऐसी स्थिति में पूर्व में प्रस्तुत वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा की प्रकृति व विवादग्रस्त गली में किए गए निर्माण की तिथि तथा पूर्व वाद में वाद कारण उत्पन्न होने की तिथि में अंतर होने के कारण, स्वतः ही पृथक वाद कारण उत्पन्न होना दर्शित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के इस तर्क को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि डिक्रीदार द्वारा इसी विवाद के संबंध में दिनांक 17.09.2013 को एक दावा पेश किया था , जिसका निस्तारण दिनांक 28.03.2025 को हो चुका है तथा न्यायालय द्वारा दावा खारिज किया गया है।

14. प्रकरण में पक्षगण के मध्य सबसे महत्वपूर्ण विवाद बिन्दु विवादग्रस्त गली में रसोई के निर्माण की ध्वस्तिकरण के संबंध में था , इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आलौच्य आदेश में डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र व मौके की स्थिति स्पष्ट करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट , डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व नक्शे का अवलोकन करने के पश्चात, इन सभी तथ्यों का अंकन करते हुए अपना विनिश्चय पारित किया है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि पक्षकारान के मध्य दिनांक 15.03.1973 को राजीनामा हुआ था तथा डिक्रीदार ने मद्यून द्वारा वादगस्त गली में रसोई का निर्माण दिनांक 03.03.88 को किया जाना कथित किया है। चूंकि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इजराय प्रकरण में मद्यूनान के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही थी। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष प्रकरण के सभी पहलूओं पर गौर किया जाना नितान्त आवश्यक था। इस संबंध में प्रथम तो मौका कमिश्नर रिपोर्ट व फोटोग्राफ्स महत्वपूर्ण थे, जिनके अवलोकन से वादग्रस्त गली में मद्यून की रसोई का निर्माण होना दृष्टिगत हुआ किन्तु विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में यह विवेचन किया है कि यह निर्माण राजीनामे के पूर्व हुआ या पश्चात में , ऐसी कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है, यह विवेचन पूर्णतया सही व न्यायोचित प्रतीत होता है तथा इसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी/डिक्रीदार द्वारा दौराने बहस उठाए गए सभी आधारों के बारे में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का पूर्ण युक्तियुक्त व विस्तृत रूप से विवेचन करते हुए किसी भी आधार को प्रमाणित नहीं माना है। उक्त आधारों के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष किसी भी प्रकार से तथ्यों एवं विधि के प्रतिकूल नहीं है। मेरे विन्रम मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र को विनिश्चत करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि किए जाने का तथ्य पत्रावली पर प्रमाणित नहीं होता है।

15. फलतः अपीलार्थी/डिक्रीदार की ओर से प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बिल्कुल सही प्रकार से अस्वीकार कर खारिज किया गया है, जिस आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई न्यायोचित आधार पर पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

16. **— आदेश —**

(i). अपीलार्थी/डिक्रीदार अब्दुल लतीफ की ओर से प्रस्तुत यह दीवानी नियमित अपील विरूद्व प्रत्यर्थीगण/मद्यूनान शफीक व अन्य अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 29.04.2019 की पुष्टि की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

(ii). विचारण न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(मनोज मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम 01, जयपुर महानगर, प्रथम

17. निर्णय आज दिनांक 30.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनोज मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश,
क्रम 01, जयपुर महानगर, प्रथम

SAMEER KUMAR SAXENA